हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

सामान्य विकास समिति

(तेरहवीं विधान सभा)

(वर्ष 2022-23)

32वां कार्रवाई प्रतिवेदन

मांग संख्या:10 लोक निर्माण विभाग की वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित तृतीय मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित।

लोक निर्माण विभाग

(दिनांक 11.08.2022 को सदन में उपस्थापित किया गया)

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
1.	समिति का गठन	(ii)
2.	प्रस्तावना	(iii)
3.	प्रतिवेदन	1-5
4.	सिफारिशें/टिप्पणियां	6

समिति का गठन

सभापति:

1. श्री हीरा लाल

सदस्य:

2. श्री जगत सिंह नेगी
3. कर्नल इन्द्र सिंह
4. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल
5. श्री रविन्द्र कुमार
6. श्री राकेश जम्वाल
7. श्री जवाहर ठाकुर
8. श्री राजेश ठाकुर
9. श्री परमजीत सिंह

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

1. श्री यशपाल शर्मा : सचिव
2. श्री राकेश गर्ग : उप-सचिव(रि0)एवं समिति अधिकारी

प्रस्तावना

मैं, सभापति, सामान्य विकास समिति (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2022-23) समिति द्वारा प्रदत्त अधिकार से समिति का **32वां कार्रवाई प्रतिवेदन जोकि मांग संख्या:10 लोक निर्माण विभाग** की वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित **तृतीय मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2017-18) **में** समाविष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर आधारित है, को सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

सामान्य विकास समिति का गठन ,हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 (नवम् संस्करण) के नियम 209 तथा 211 के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या: वि0स0-विधायन-समिति गठन/1-14/2018 दिनांक 28 मार्च, 2022 द्वारा किया गया ।

समिति का तृतीय मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) जोकि दिनांक 26 मार्च, 2018 को सदन में उपस्थापित कर इसे दिनांक 05.04.2018 को लोक निर्माण विभाग को आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया था। जिसका उत्तर विभाग ने दिनांक 23.07.2021 को इस सचिवालय को समिति के संवीक्षार्थ उपलब्ध करवाये। इन उत्तरों पर समिति ने दिनांक 26.04.2022 को आयोजित बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त प्रतिवेदन तैयार करने का निर्णय लिया। यह कार्रवाई प्रतिवेदन विभाग के लिखित उत्तरों व समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पियों पर आधारित है।

समिति ने इस कार्रवाई प्रतिवेदन को **दिनांक 25.07.2022** को आयोजित बैठक में विचारोपरान्त अपनाया तथा सभापति महोदय को इसे सदन में उपस्थापित करने के लिए प्राधिकृत किया ।

समिति प्रधान सचिव (लोक निर्माण विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों का आभार प्रकट करती है, जिन्होंने समिति को लिखित उत्तर/सूचना उपलब्ध करवाई।

समिति सचिव, विधान सभा तथा इस सचिवालय के सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी आभार प्रकट करती है, जिन्होंने इस प्रतिवेदन की रूप रेखा तैयार करने में समिति को आवश्यक सहयोग दिया ।

(हीरा लाल)
सभापति,
सामान्य विकास समिति।

दिनांक : 25.07.2022
शिमला-171004.

प्रतिवेदन

सामान्य विकास समिति का **तृतीय मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा)** (वर्ष 2018-19) जोकि मांग संख्या: 10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है को दिनांक 05.04.2018 को विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया था, जिसमें कुल 6 सिफारिशें की गई थी । विभाग ने समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणीयों पर विभागीय उत्तर दिनांक 23.07.2021 को इस सचिवालय में समिति के विचारार्थ/संवीक्षार्थ उपलब्ध करवाये। इन उत्तरों पर समिति ने **दिनांक 26.04.2022** को आयोजित बैठक् में विचार-विमर्श के उपरान्त **कार्रवाई प्रतिवेदन** तैयार करने का निर्णय लिया। जोकि इस प्रकार से है:-

शीर्ष संख्या:1 समिति सिफारिश करती है कि विभाग बिलासपुर और शिमला में निर्माणाधीन कनिष्ठ अभियन्ता का क्वार्टर व नाभा में टाइप-II क्वार्टर्ज के निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु कृत कार्रवाई से समिति को अवगत करवाए?

विभाग ने दिनांक 23.07.2021 को लिखित उत्तर द्वारा समिति को अवगत करवाया कि बिलासपुर जिला के भराड़ी में कनिष्ठ अभियन्ता के टाइप-II का कार्य प्रगति पर है तथा आर0सी0सी0 स्लैब डाल दिया गया है।

शिमला में कनिष्ठ अभियन्ता के लिए कोई भी क्वार्टर निर्माणाधीन नहीं है। जहां तक नाभा में टाइप-II क्वार्टर्ज के निर्माण के कार्य में तेजी लाने का प्रश्न है उसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

(i) नाभा में 08 न0 टाइप-II क्वार्टज का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा भवन GAD को सौंप दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त नाभा में 04 न0 टाइप-II क्वार्टज (PWD Pool) का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

(ii) 08 न0 टाइप-II (GAD) एवं 04 न0 टाइप-II क्वार्टज (PWD Pool) का कार्य अगस्त, 2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

(iii) 08 न0 (GAD) का कार्य अक्तुबर, 2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

सिफारिश/टिप्पणी :-

समिति विभागीय उत्तर के दृष्टिगत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

शीर्ष संख्या: 2 समिति सिफारिश करती है कि विभाग राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर क्रैश बैरियर थ्री लेयर और (जिला किन्नौर में पवारी से पांगी नाला) रिसरफेसिंग के मामले में आवश्यक कार्रवाई कर समिति को अवगत करवाएं।

In this regard, the department informed through written reply that the information obtained from BRO vide which it has been intimated that the Crash barriers on NHs being fixed as per provision made in sanctioned jobs. Provision of double W-beem crash barriers for full length are projected in fresh DPRs. Surfacing works including Black Top has already been executed from Powari to Pangi Nallah exept Pangi Bridge approaches.

सिफारिश/टिप्पणी :-

इस शीर्ष के अन्तर्गत समिति ने सिफारिश की कि राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर क्रैश बैरियर्ज लगाने के कार्य में तेजी लाई जाए ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए।

शीर्ष संख्या:6 विभाग प्रदेश के विश्राम/परिधि गृहों की स्थिति में सुधार लाने, इनमें ठहरने वालों से किराया वसूली हेतू उचित कदम उठाए व कृत कार्रवाई से समिति को अवगत करवाएं?

विभाग ने लिखित उत्तर के माध्यम से अवगत करवाया कि विभाग द्वारा समय-समय पर विश्राम/परिधि गृहों की स्थिति में सुधार किया जाता है और इनमें ठहरने वालों से जी0ए0डी0 द्वारा निर्धारित शुल्क के आधार पर वसूली की जाती है।

जी0ए0डी0 द्वारा दिनांक 10.09.2020 को विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित शुल्क को संशोधित किया गया है और वर्तमान में विभाग द्वारा संशोधित शुल्कों के आधार पर वसूली की जा रही है।

सिफारिश/टिप्पणी :-

समिति ने सिफारिश की प्रदेश में विश्राम/परिधि गृहों के बाह्य रख-रखाव के साथ-साथ उनके अन्दर उपयोग होने वाले टूटे हुए/पुराने फर्नीचर और बिस्तरों को भी आधुनिक समय के हिसाब से आवश्यकतानुसार समय-समय पर बदला जाए ताकि उनमें स्वच्छता व ठहरने की अच्छी व्यवस्था कायम हो सके।

शीर्ष संख्या:7 समिति सिफारिश करती है कि विभाग लोक निर्माण भवन, धामी व अधिशासी अभियन्ता, भवन बालीचौकी के निर्माण कार्य में तेजी लाए व शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करे।

विभाग ने लिखित उत्तर के माध्यम से अवगत करवाया कि धामी में लोक निर्माण भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं इसका उद्घाटन माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा 8 दिसम्बर, 2020 को किया गया है।

बालीचौकी में अधिशासी अभियन्ता का कार्यलय भवन नहीं बनाया जा रहा है, अपितु सहायक अभियन्ता हि0प्र0लो0नि0वि0 कार्यालय एवं कोषागार कार्यालय के लिए संयुक्त भवन का निर्माण कार्य किया गया है, जोकि दिनांक 20.05.2021 को पूर्ण किया जा चुका है।

सिफारिश/टिप्पणी :-

समिति विभागीय उत्तर के दृष्टिगत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

शीर्ष संख्या:9 समिति सिफारिश करती है कि विभाग प्रदेश में जिन पुलों का कार्य प्रगति पर है, उन्हें शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

विभाग ने लिखित उत्तर के माध्यम से अवगत करवाया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्रदेश में 200 पुलों का निर्माण कार्य प्रस्तावित था जिसमें से 141 पुलों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और 56 पुलों का कार्य प्रगति पर है। 3 पुलों का कार्य शुरू किया जाना है।

सिफारिश/टिप्पणी :-

इस शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त विभागीय उत्तर में ही विरोधाभास है क्योंकि पुलों के संदर्भ में दिए गए उत्तर और प्रपत्र "क" पर तालिका के तहत दर्शाई गई सूचना आपस में मेल नहीं खाती। अत: समिति को पुलों के निर्माण की स्थिति के बारे में सही सूचना उपलब्ध करवाई जाए।

शीर्ष संख्या:10 समिति सिफारिश करती है कि विभाग नाबार्ड के अन्तर्गत प्रावधित धनराशि का निश्चित समयावधि के भीतर उपयोग करने हेतु डी0पी0आर0 व फौरेस्ट क्लीयरैंस आदि प्रक्रियाओं में तेजी लाने हेतु कार्रवाई अमल में लाए।

विभाग ने लिखित उत्तर के माध्यम से अवगत करवाया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्रदेश में 84 योजनाओं का कार्य प्रस्तावित था, जिनमें से 15 सड़कों व 7 पुलों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 01 योजना को नाबार्ड से ड्रॉप करवाया गया है। शेष 59 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है, 01 योजना में अभी टैंडर लगना बाकि है व 01 योजना का कार्य वन भूमि के कारण शुरू नहीं किया जा सका है

सिफारिश/टिप्पणी :-

समिति ने जानना चाहा कि 01 योजना का कार्य नाबार्ड से किन कारणों से ड्रॉप करवाया गया व किन कारणों से 01 योजना का कार्य वन भूमि के कारण शुरू नहीं किया जा सका। पूर्ण वस्तुस्थिति से समिति अवगत होना चाहेगी?

******

सिफारिशें/टिप्पणीयां

शीर्ष संख्या	सिफारिशें
शीर्ष संख्या:2	इस शीर्ष के अन्तर्गत समिति ने सिफारिश की कि राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर क्रैश बैरियर्ज लगाने के कार्य में तेजी लाई जाए ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए।
शीर्ष संख्या:6	समिति ने सिफारिश की प्रदेश में विश्राम/परिधि गृहों के बाह्य रख-रखाव के साथ-साथ उनके अन्दर उपयोग होने वाले टूटे हुए/पुराने फर्नीचर और बिस्तरों को भी आधुनिक समय के हिसाब से आवश्यकता अनुसार समय-समय पर बदला जाए ताकि उनमें स्वच्छता व ठहरने की अच्छी व्यवस्था कायम हो सके।
शीर्ष संख्या:9	इस शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त विभागीय उत्तर में ही विरोधाभास है क्योंकि पुलों के संदर्भ में दिए गए उत्तर और प्रपत्र "क" पर तालिका के तहत दर्शाई गई सूचना आपस में मेल नहीं खाती। अत: समिति को पुलों के निर्माण की स्थिति के बारे में सही सूचना उपलब्ध करवाई जाए।
शीर्ष संख्या:10	समिति ने जानना चाहा कि 01 योजना का कार्य नाबार्ड से किन कारणों से ड्रॉप करवाया गया व किन कारणों से 01 योजना का कार्य वन भूमि के कारण शुरू नहीं किया जा सका। पूर्ण वस्तुस्थिति से समिति अवगत होना चाहेगी

******